

डिगरी बगूकदमे इबादाई
(आदेश 20 नियम 0.7 जादा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
बइजलारा सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या- 136/2018

1. हिम्मताराम पुत्र जोगीराम, जाति मेघवाल, उग्र वयस्क,
2. घुनीलाल पुत्र जोगीराम, जाति मेघवाल, उग्र वयस्क,
3. रतनाराम पुत्र जोगीराम, जाति मेघवाल, उग्र वयस्क,
4. छोटूराम पुत्र जोगीराम, जाति मेघवाल, उग्र वयस्क,
निवासीगण कालवी, तहसील जायल, जिला नागौर

.....वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

..... प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 83 आर0टी0एक्ट 1956


उपरिथत अधिवक्ता-

- 1- श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी एडवोकेट वादीगण की और से।
- 2- प्रतिवादी अनुपरिथत।

वाद अन्तर्गत धारा 853 आर0टी0एक्ट 1956

यह मुकदमा आज वारंते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है व डिगरी दीजाती है कि :-

1. कि वादी संख्या 1 हिम्मताराम के बंट में वादग्रस्त भूमि मौजा कालवी तहसील जायल के खेत खसरा नं. 9 रकबा 42.07 बीघा में से बीघा का 10.07 बीघा भाग नजरी नक्शा अनुसार, खसरा नं. 3/226 में से 6.15 बीघा दक्षिणी भाग तथा खसरा नं. 15/220 रकबा 6.19 बीघा में से दक्षिणी पश्चिमी कोने का 1.14 बीघा भाग नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।
2. कि वादी संख्या 2 घुनीलाल के बंट में वादग्रस्त भूमि मौजा कालवी तहसील जायल के खेत खसरा नं. 9 रकबा 42.07 बीघा में से सबसे पश्चिमी का 10.06 बीघा भाग नजरी नक्शा अनुसार तथा खसरा नं. 27/223 रकबा 15.03 बीघा में से दक्षिणी 7.12 बीघा भाग तथा खसरा नं. 15/220 रकबा 6.19 बीघा में से उत्तर पूर्वी कोने का 0.17 बीघा भाग तथा दक्षिणी पूर्वी कोने का 0.17 बीघा भाग नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।



3. कि वादी संख्या 3 रतनाराम के बंट में वादग्रस्त भूमि मौजा कालवी तहसील जायल के खेत खसरा नं. 9 रकबा 42.07 बीघा में से बीघा का 10.07 बीघा भाग नजरी नक्शा अनुसार, खसरा नं. 3/220 रकबा 13.10 में से 6.15 बीघा उत्तरी भाग तथा खसरा नं. 15/220 रकबा 6.19 बीघा में से उतर पश्चिमी कोने का 1.14 बीघा भाग नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।
4. कि वादी संख्या 4 छोटूराम के बंट में वादग्रस्त भूमि मौजा कालवी तहसील जायल के खेत खसरा नं. 9 रकबा 42.07 बीघा में से सबसे पूर्व का 10.07 बीघा भाग नजरी नक्शा अनुसार तथा खसरा नं. 27/223 रकबा 15.03 बीघा में से उत्तरी 7.11 बीघा भाग तथा खसरा नं. 15/220 रकबा 6.19 बीघा में से पूर्वी माठ पर बीघा का 1.16 बीघा भाग नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।
5. कि खसरा नं. 15/220 रकबा 6.19 बीघा में से 0.01 बीघा भूमि उतर दक्षिण लंबाई में बीघा का भाग रास्ते के लिए घोषित किया जाता है। शांति देवी का नाम खाते से हटाया जाता है।

आज की तारीख लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें।
वसीद मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18/08/2019 को जारी किया गया।



(Signature)
सुरेश कुमार प्रथम आर०ए०एस०
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल तहसील नजारा

मुद्दे	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जा दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिफ			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जा मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिफ		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(Signature)
सुरेश कुमार प्रथम आर०ए०एस०
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक जिला मजिस्ट्रेट जायल